न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 138/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

नकुल मंडल वगैरह ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

विद्यासागर वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

15-10-24

प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 09.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत कर उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- बड़की सरिया, खाता नं0- 200, प्लॉट नं0- 117, रकबा- 01 बीघा 6 कटठा 10 धुर, चौहद्दी : उ0- रास्ता, द0- जमीन नागो मंडल वगैरह, पू0- जमीन डॉ0 राजेश कुमार, प0- जमीन खुबलाल मिस्त्री

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष के द्वारा मुकदमा वापस लेने संबंधी आवेदन तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि सामान्य अधिकार पत्र द्वारा उन्हें रैयत कल्पना बनर्जी के द्वारा खाता सं0- 200, प्लॉट नं0- 117, रकबा 1 बीघा 6 कटठा 10 धुर जमीन पर कानुनी अधिकार प्राप्त है। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सरिया थाना में काण्ड संख्या- 127/24 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष के पास विवादित जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है।

प्रथम पक्ष एक आवेदन दाखिल कर बताते है कि उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं है अत: वह मुकदमा वापस लेना चाहते है।

प्रथम पक्ष के आवेदन पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि वाद के संबंध में उभय पक्ष में कोई विवाद नहीं है। अत: भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15.10.24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

15-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.11 16:41:27 +05:30
Location: 192.168.1.2